Table 4 Part B Section I	 This section consists details the credit notes received and amendment thereof which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1 and 5 	
Others	Others ii. This table provides only the credit notes on which ITC is not available.	
	iii. Such credit shall be reversed under Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B .	

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 72/2020-Central Tax, dated the 30th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 603(E), dated the 30th September, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

सं. 83/2020-केंद्रीय कर

सा.का.िन. 699(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 74/ 2020-केंद्रीय कर, तारीख 15 अक्तूबर, 2020 संख्या सा.का.िन.634 (अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 75/ 2020-केंद्रीय कर, तारीख 15 अक्टूबर, 2020 संख्या सा.का.िन.635 (अ), तारीख 15 अक्तूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचनाओं का अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक कर अवधि के लिए उत्तरवर्ती महीने के ग्यारहवें दिन तक करता है:

परंतु उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का ऐसी कर अवधि के उत्तरवर्ती महीने के तेरहवें दिन तक विस्तार किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

No. 83/2020-Central Tax

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 74/2020-Central Tax, dated the 15th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 634 (E), dated the 15th October, 2020, and notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 75/2020-Central Tax, dated the 15th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 635 (E), dated the 15th October, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), for each of the tax periods, till the eleventh day of the month succeeding such tax period:

Provided that the time limit for furnishing the details of outward supplies in FORM GSTR-1 of the said rules for the class of registered persons required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39 of the said Act, shall be extended till the thirteenth day of the month succeeding such tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST] PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवमुबर, 2020

सं. 84/2020-केंद्रीय कर

सा.का.िन. 700(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के साथ पिठत धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, पिरषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जो की एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न हैं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक का कुल आवर्त है और जिन्होंने केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61क के उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जनवरी, 2021 से प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखिल करेंगे और उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अनुसार प्रत्येक मास में शोध्य कर का संदाय करेंगे, अर्थात्:-

- (i) ऐसे विकल्प के प्रयोग की तारीख को पूर्ववर्ती मास के लिए शोध्य विवरणी दाखिल की जा चुकी है;
- (ii) जहां ऐसे विकल्प का प्रयोग एक बार कर लिया गया है, वहां वे भविष्यवर्ती कर अवधियों के लिए चयनित विकल्प के अनुसार विवरणी दाखिल करते रहेंगे, यदि वे उसका पुनरीक्षण नहीं करते ।
- (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका कुल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में त्रिमास के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, तो वह उत्तरवर्ती त्रिमास के पहले मास से त्रैमासिक आधार पर विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा ।
- (3) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अन्तर्गत आने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिसने अक्तूबर, 2020 की कर अविध के लिए विवरणी 30 नवम्बर, 2020 को या उसके पूर्व दाखिल कर दी है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त नियमों के नियम 61क के उपनियम (1) के तहत उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाउल्लिखित विवरणी के मासिक या त्रैमासिक आधार पर दाखिल करने का विकल्प चुना है:-

सारणी

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग	समझा गया विकल्प
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू	त्रैमासिक विवरणी
	वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक आधार पर प्ररुप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है ।	
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू	मासिक विवरणी
	वित्तीय वर्ष में मासिक आधार पर प्ररुप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है ।	
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से	त्रैमासिक विवरणी
	अधिक और 5 करोड़ रुपए तक है ।	

(4) ऊपर सारणी के स्तंभ (2) के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 5 दिसंबर,2020 से 31 जनवरी,2021 तक अवधि के दौरान सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिफ़ॉल्ट विकल्प बदल सकते हैं।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक